(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 47/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 09 जून, 2020

सा.का. नि. ....(अ).-- केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 235 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2020-केंद्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के खंड (ii) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु जहां केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन 24 मार्च, 2020 को या पूर्व ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता 20 मार्च, 2020 को या उसके पश्चात् समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया समझा जाएगा।"

2. यह अधिसूचना 31 मई, 2020 से प्रवृत्त होगा ।

(फा. सं. सीबीईसी-20/06/03/2020-जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) सं. 35/2020-केंद्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल, 2020 में संख्यांक सा.का.नि. 235 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 274 (अ) तारीख 5 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 40/2020-केंद्रीय कर, तारीख 5 मई, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।